बिहार सरकार

डॉ० प्रमोद कुमार
मंत्री, सहकारिता विभाग

श्री विजय कुमार सिन्हा
उपमुख्यमंत्री, बिहार

श्री सम्राट चौधरी
उपमुख्यमंत्री, बिहार

श्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री, बिहार

सहकारिता विभाग

वक्तव्य
वर्ष 2026-27

माँग संख्या – 09

दिनांक – 18 फरवरी 2026

हर थाली में बिहारी तरकारी

सहकारिता विभाग

बिहार सरकार

डॉ0 प्रमोद कुमार

मंत्री, सहकारिता विभाग

का

माँग संख्या – 09

पर

वक्तव्य

वर्ष 2026-27

दिनांक – 18 फरवरी, 2026

एक सब के लिए
सब एक के लिए

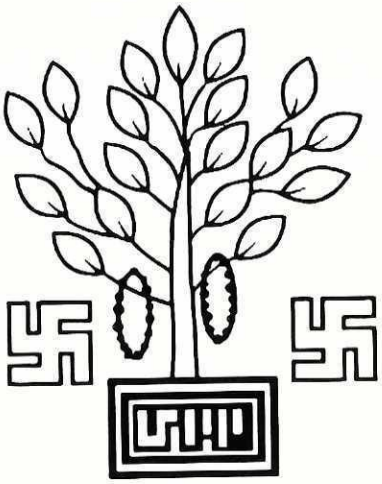

बिहार सरकार

बिहार सरकार

माँग संख्या–09 पर
मंत्री, सहकारिता विभाग का वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष महोदय,

समाज के वृहत्तर समुदाय, कमजोर वर्ग, वंचित वर्ग तथा महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को सहकारिता के माध्यम से फलीभूत करने के लिए आज के प्रतिस्पर्धी आर्थिक परिवेश में सहकारी समितियों को सबल और सक्षम बनाया जाना आवश्यक है ताकि वे अपने सदस्यों को सहकारिता से जुड़े कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा सहकारी संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए सतत् प्रत्यनशील हो।

भारतीय संविधान के 97वें संशोधन के फलस्वरूप देश के नागरिकों को सहकारी समितियों के गठन का मौलिक अधिकार दिया गया है। साथ ही, राज्य के नीति निदेशक तत्व में संशोधन करते हुए राज्य सरकारों को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करने की वृहत्तर जिम्मेवारी भी दी गई है।

आपकी अनुमति से, मैं सहकारिता विभाग के वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए व्यय हेतु रू० 12,01,41.16 लाख (बारह अरब एक करोड़ एकतालीस लाख सोलह हजार) रूपये मात्र के माँग संख्या–09 को सदन में विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

उपर्युक्त माँग के अन्तर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में रू० 2,78,67.16 लाख (दो अरब अठहत्तर करोड़ सड़सठ लाख सोलह हजार) रूपये का व्यय प्रस्तावित है। राज्य योजना एवं केन्द्र प्रायोजित योजना में कुल रू० 9,22,74.00 लाख (नौ अरब बाईस करोड़ चौहत्तर लाख) रूपये का व्यय प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत क्रमशः रू० 10,00.00 लाख (दस करोड़) रूपये बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए, रू० 0.10 लाख (दस हजार) रूपये राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (क्षतिपूर्ति अनुदान) के लिए, रू० 0.10 लाख (दस हजार) रूपये पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना हेतु प्रीमियम के लिए, रू० 0.10 लाख (दस हजार) रूपये संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के लिए, रू० 7,00.00 लाख (सात करोड़) रूपये बिहार राज्य भंडार निगम को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान के लिए, रू० 1,00.00 लाख (एक करोड़) रूपये सहकारी प्रशिक्षण संस्थान के लिए भवन मरम्मति एवं निर्माण हेतु, रू० 1,00.00 लाख (एक करोड़) रूपये सहकारिता विभाग के कार्यालयों का जीर्णोद्धार हेतु, रू० 7,00.00 लाख (सात करोड़) रूपये विभागीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु, रू० 5,00.00 लाख (पाँच करोड़) रूपये सहकारी समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर भ्रमण हेतु, रू० 7,00.00 लाख (सात करोड़) रूपये सहकारिता विभाग से जुड़े कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार हेतु, रू० 3,97.00 लाख (तीन करोड़ संतानवे लाख) रूपये मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना के लिए, रू० 0.10 लाख (दस हजार) रूपये पैक्सों/व्यापार मंडलो में ड्रायर स्थापित करने हेतु अनुदान के लिए, रू० 28,00.00 लाख (अठाईस करोड़) रूपये पैक्सों/व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान के लिए, 7,00.00 लाख (सात करोड़) रूपये पैक्सों/व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान के अनुसूचित जाति उप योजना के लिए, रू० 0.10 लाख (दस हजार) रूपये सहकारी समितियों को अनुदान के लिए, रू० 1,37,00.00 लाख (एक अरब सैंतीस करोड़) रूपये अधिप्राप्ति कार्य हेतु प्रबंधकीय अनुदान के लिए, रू० 33,00.00 लाख (तैंतीस करोड़) रूपये अधिप्राप्ति कार्य हेतु प्रबंधकीय अनुदान के अनुसूचित जाति उप योजना के लिए, रू० 25,00.00 लाख (पच्चीस करोड़) रूपये केन्द्रीय सहकारी बैंकों को अनुदान के लिए, रू० 6,00.00 लाख (छः करोड़) रूपये जिला केन्द्रीय बैंक में

निवेश के लिए, रू० 0.10 लाख (दस हजार) रूपये समेकित सहकारी विकास योजना के अंतर्गत के अनुदान का राज्यांश मद हेतु, रू० 0.10 लाख (दस हजार) रूपये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति कार्य हेतु कार्यशील पूँजी के लिए, रू० 42,00.00 लाख (बियालीस करोड़) रूपये सब्जी आधारित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन योजना के अनुदान के लिए, रू० 8,00.00 लाख (आठ करोड़) रूपये सब्जी आधारित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन योजना के अनुदान के अनुसूचित जाति उप योजना के लिए, रू० 11,00.00 लाख (ग्यारह करोड़) रूपये सब्जी आधारित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन योजना के निवेश के लिए, रू० 4,00.00 लाख (चार करोड़) रूपये सब्जी आधारित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन योजना के निवेश के अनुसूचित जाति उप योजना के लिए, रू० 11,00.00 लाख (ग्यारह करोड़) रूपये सब्जी आधारित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन योजना के ऋण के लिए, रू० 4,00.00 लाख (चार करोड़) रूपये सब्जी आधारित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन योजना के ऋण के अनुसूचित जाति उप योजना के लिए, रू० 3,75.00 लाख (तीन करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये शहद आधारित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन योजना के अनुदान के लिए, रू० 1,25.00 लाख (एक करोड़ पच्चीस लाख) रूपये शहद आधारित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन योजना के निवेश के लिए, रू० 0.10 लाख (दस हजार) रूपये विपणन से संबंधित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन योजना के अनुदान के लिए, रू० 0.10 लाख (दस हजार) रूपये विपणन से संबंधित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन योजना के निवेश के लिए, रू० 0.10 लाख (दस हजार) रूपये बुनकर से संबंधित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन योजना के अनुदान के लिए, रू० 0.10 लाख (दस हजार) रूपये बुनकर से संबंधित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन योजना के निवेश के लिए, रू० 75,00.00 लाख (पचहत्तर करोड़) रूपये चीनी मिल आधारित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन योजना के अनुदान के लिए, रू० 16,00.00 लाख (सोलह करोड़) रूपये चीनी मिल आधारित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन योजना के अनुदान के अनुसूचित जाति उप योजना के लिए, रू० 36,50.00 लाख (छत्तीस करोड़ पचास लाख) रूपये चीनी मिल आधारित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन योजना के निवेश के लिए, रू० 8,00.00 लाख (आठ करोड़) रूपये चीनी मिल आधारित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन योजना के निवेश के अनुसूचित जाति उप योजना के लिए, रू० 36,50.00 लाख (छत्तीस करोड़ पचास लाख) रूपये चीनी मिल आधारित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन योजना के ऋण के लिए, रू० 8,00.00 लाख (आठ करोड़) रूपये चीनी मिल आधारित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन योजना के ऋण के अनुसूचित जाति उप योजना हेतु प्रावधानित किया गया है।

माँग संख्या–03 के अन्तर्गत सहकार भवन एवं सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण हेतु रू० 20,00.00 लाख (बीस करोड़) रूपये एवं विभागीय कार्यालयों के आधुनिकीकरण हेतु रू० 5,00.00 लाख (पाँच करोड़) रूपये व्यय के लिए प्रावधानित किया गया है।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना के राज्यांश मद में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के सामान्य मद हेतु रू० 2,77,72.90 लाख (दो अरब सतहत्तर करोड़ बहत्तर लाख नब्बे हजार) रूपये, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अनुसूचित जाति उप योजना हेतु रू० 63,64.00 लाख (तिरसठ करोड़ चौसठ लाख) रूपये एवं प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के जनजातीय क्षेत्र उप योजना हेतु रू० 7,00.00 लाख (सात करोड़) रूपये प्रावधानित किया गया है।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना के केन्द्रांश मद में पैक्सों/व्यापार मंडलों में कम्प्यूटराईजेशन योजना के अंतर्गत रू० 31,39.00 लाख (एकतीस करोड़ उनचालीस लाख) रूपये प्रावधानित किया गया है।

बिहार सरकार

अधिप्राप्ति

राज्य के किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने के उद्देश्य से धान/गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य e-procurement प्रणाली अन्तर्गत मोबाईल ऐप एवं वेब पोर्टल (esahkari.bihar.gov.in) द्वारा ऑनलाईन व्यवस्था के माध्यम से संचालित किया जाता है।

राज्य में कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित किसानों से अधिप्राप्ति किया जाता है। राज्य के चयनित पैक्स/व्यापार मंडल में निबंधित किसान धान/गेहूँ की बिक्री कर न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त करते हैं।

राज्य सरकार द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2025–26 एवं रबी विपणन मौसम 2026–27 हेतु 7,000.00 (सात हजार) करोड़ रूपये राजकीय गारंटी के रूप में बिहार राज्य सहकारी बैंक/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को स्वीकृति दी गई है, जिसका उपयोग किसानों से धान/गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा कैश क्रेडिट के रूप में किया जा रहा है।

खरीफ विपणन मौसम 2024–25 अन्तर्गत प्राप्त लक्ष्य 45.00 लाख मे॰टन के विरूद्ध कुल 6732 सहकारी समितियों के माध्यम से 4.63 लाख किसानों से 39.23 लाख मे॰टन धान की अधिप्राप्ति की गई थी। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2025–26 में धान अधिप्राप्ति हेतु प्राप्त लक्ष्य 36.85 लाख मे0 टन के विरूद्ध दिनांक–11.02.2026 तक 6871 समितियों के माध्यम से 3.47 लाख किसानों से 23.74 लाख मे0 टन धान की अधिप्राप्ति हो चुकी है।

अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न पैक्स/व्यापार मंडलों को अधिप्राप्ति धान के समतुल्य राज्य खाद्य निगम को चावल आपूर्ति में प्रोत्साहन देने हेतु एवं समितियों को गनी बैग (बोरा) की प्रतिपूर्ति राशि के रूप में प्रबंधकीय अनुदान के अंतर्गत राशि प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में इस योजनान्तर्गत प्रबंधकीय अनुदान मद में अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न पैक्सों एवं व्यापारमंडलों को प्रोत्सहित करने हेतु रू० 1,70,00.00 लाख (एक अरब सत्तर करोड़) रूपये का प्रावधान किया गया है।

कृषि रोड मैप

राज्य के कृषि रोड मैप (वर्ष 2023–28) अन्तर्गत कृषि के समग्र विकास हेतु सहकारी समितियों के भंडारण क्षमता में वृद्धि को प्रमुख घटक के रूप में शामिल किया गया है। इसके तहत् पैक्सों/व्यापार मंडलों में आधारभूत संरचना के विकास हेतु 200/500/1000 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण कराया जाता है।

पैक्सों/व्यापार मंडलों में भंडारण क्षमता की आवश्यकता को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2023–24 में 2.36 लाख मे॰टन भंडारण क्षमता सृजन हेतु 325 गोदाम के निर्माण के लिए 1,69,39,73,000/– (एक अरब उनहत्तर करोड़ उनचालीस लाख तिहतर हजार रूपये) जिलों को उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में 2.43 लाख मे॰टन भंडारण क्षमता सृजन हेतु 305 गोदाम के निर्माण के लिए 1,75,30,39,744/– (एक अरब पचहत्तर करोड़ तीस लाख उनचालीस हजार सात सौ चौवालीस रूपये) जिलों को उपलब्ध कराया गया है।

इस प्रकार सहकारी क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत् पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में 7221

गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिससे राज्य में 17.015 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता सृजित हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में गोदाम निर्माण हेतु रू० 35,00.00 लाख (पैंतीस करोड़) रूपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें लगभग 45,000 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता का संवर्द्धन होगा।

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का उद्देश्य सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य के सब्जी उत्पादक किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना तथा उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सब्जियाँ उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है। योजना को 'तरकारी' ब्रांड के रूप में स्थापित करना है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु त्रिस्तरीय सहकारी संरचना के अंतर्गत प्रखंड स्तर पर प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों (PVCS), जिला/क्षेत्रीय स्तर पर सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ तथा राज्य स्तर पर बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन (VEGFED) का गठन किया गया है। वर्तमान में 07 सब्जी संघ हरित, तिरहुत, मिथिला, मगध, भागलपुर, मुंगेर एवं सारण तथा राज्य स्तर पर वेजफेड कार्यरत हैं। अब तक सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय PVCS का गठन किया जा चुका है, जिसमें 61,000 से अधिक सब्जी उत्पादक किसान सदस्य के रूप में जुड़े हैं। सदस्यता को सुविधाजनक, व्यापक एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

प्रखंड स्तर पर गठित प्राथमिक समितियों के सुदृढ़ीकरण हेतु 10,000 वर्ग फीट भूमि पर सब्जी हाट, प्रबंधन कार्यालय, मिनी कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग–ग्रेडिंग शेड तथा सब्जी वाहनों के लिए लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म जैसी आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु 114 PVCS योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 15 PVCS में सिविल संरचना का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा 89 PVCS में कार्य प्रगति पर है। इस मॉडल को राज्य के अन्य PVCS में भी चरणबद्ध रूप से लागू किया जाना प्रस्तावित है।

किसानों द्वारा उत्पादित सब्जियों की बाजार तक पहुँच सुनिश्चित करने एवं उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सब्जी उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 200 PVCS में प्रति ईकाई रू0 7.44 लाख की लागत से तरकारी आउटलेट स्थापित किए जा रहे हैं। चरणवार शेष प्रखंडों में भी इसका विस्तार किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, प्याज भंडारण हेतु 68 PVCS में 50 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण प्रति इकाई रू0 13,05,105/– की लागत से कराया जा रहा है, जिसे आगे अन्य PVCS में भी विस्तारित किया जाएगा। सब्जियों के सुरक्षित परिवहन एवं विपणन क्षमता बढ़ाने हेतु चार सब्जी संघों द्वारा कुल 43,000 कैरेट्स की खरीद की जा रही है। सब्जियों एवं प्रसंस्कृत उत्पादों के भंडारण और विपणन को सुदृढ़ करने के लिए चार संघों यथा– तिरहुत, हरित, मिथिला एवं मगध में 750 मीट्रिक टन क्षमता की बहुउद्देशीय शीत भंडारण इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है, जिसे शेष संघों तक विस्तारित किया जाएगा।

सब्जी उत्पादक किसानों के कौशल विकास एवं क्षमतावर्धन हेतु वेजफेड अंतर्गत प्रशिक्षण आयोजित की जा रही है, जिसके माध्यम से PVCS से जुड़े किसान सदस्य, प्रबंध समिति सदस्य एवं कर्मियों को चरणबद्ध ढंग से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण जिलों में मास्टर ट्रेनरों के द्वारा किसानों को दिया जा रहा है।

योजना के क्रियान्वयन में पेशेवर दक्षता, पारदर्शिता एवं विशेषज्ञता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लेखा संधारण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु चार्टर्ड अकाउन्टैन्ट एजेंसी, तकनीकी एवं परियोजना प्रबंधन सहयोग हेतु PMU तथा संचालन एवं संस्थागत सुदृढ़ीकरण के लिए मानव संसाधन की एक समर्पित टीम का चयन किया गया है। इसके माध्यम से PVCS संघ एवं वेजफेड स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी एवं सफल व्यवसायीकरण को गति प्रदान की जा रही है।

संघों द्वारा संस्थागत एवं खुदरा बिक्री के माध्यम से सब्जी विपणन किया जा रहा है। अब तक PVCS एवं सब्जी संघों के माध्यम से लगभग 1 लाख मीट्रिक टन सब्जियों का व्यवसाय किया जा चुका है। सदस्य किसानों से किए गए सब्जी क्रय एवं आपूर्ति की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु Tarkaari Portal विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ताओं तक सब्जी आपूर्ति के लिए ई–कॉमर्स सुविधा भी प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

आगामी वित्तीय वर्ष में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग को देखते हुए हल्दी प्रसंस्करण इकाई, डिहाइड्रेशन यूनिट, मेगा फूड पार्क एवं पैक हाउस की स्थापना की योजना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन तथा आधारभूत संरचनाओं, आउटलेट आदि निर्माण कार्य हेतु रू0 80,00.00 लाख (अस्सी करोड़) रूपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना

बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत फसलों के उत्पादन में ह्रास की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए उन्हें अगली फसल के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने, प्रतिकूल परिस्थितियों में किसानों की आय में निरंतरता बनाए रखने हेतु राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2018 मौसम में ''बिहार राज्य फसल सहायता योजना'' लागू की गई है।

योजनान्तर्गत रबी 2023–24 मौसम तक 33,19,808 किसानों को 2206.84 करोड़ की राशि का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में खरीफ 2024 मौसम एवं रबी 2024–25 मौसम का सत्यापन एवं भुगतान प्रक्रियाधीन है। खरीफ 2025 मौसम में कुल 15,02,738 आवेदन प्राप्त हुए है। उपज दर आँकड़ों के आधार पर चयनित ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानों का सत्यापनोपरांत भुगतान की कार्रवाई मार्च–अप्रैल 2026 में किया जाना है। रबी 2025–26 मौसम में योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई है एवं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 01 जनवरी 2026 से प्रारंभ है। खरीफ 2024, रबी 2024–25, खरीफ 2025 एवं रबी 2025–26 हेतु आवेदित किसानों को अनुमान्य सहायता राशि का भुगतान किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत विगत मौसमों के लाभुक किसानों के भुगतान हेतु रू० 10,00.00 लाख (दस करोड़) रूपये के बजटीय उपबंध का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रतिकूल परिस्थिति में फसल उत्पादन में ह्रास होने पर बीमित किसानों को कृषि इनपुट लागत के आलोक में क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है। यह योजना कृषि में जोखिम के विरूद्ध पूर्ण सुरक्षा करती है एवं किसानों की आय को स्थिर बनाती है। साथ ही इस योजना का

उद्देश्य किसानों को नवीन एवं आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना एवं कृषि क्षेत्र के विकास को और प्रतिस्पर्धात्मक करना भी है। राज्य में खरीफ 2026 मौसम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन प्रस्तावित है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ऋणी, गैर–ऋणी एवं बटाईदार (गैर रैयत) किसानों का बीमा आच्छादन किया जाता है। इस योजना का कार्यान्वयन बीमा कम्पनियों के माध्यम से किया जाता है, जिसका चयन निविदा के माध्यम से किया जायेगा। बीमित किसानों को खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% एवं बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम निर्धारित है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनियों द्वारा प्रभारित प्रीमियम की अंतर राशि का भुगतान समान रूप से किया जाता है।

प्रस्तावित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में रू० 3,48,36.90 लाख (तीन अरब अड़तालीस करोड़ छत्तीस लाख नब्बे हजार) रूपये के बजटीय उपबंध का प्रावधान किया गया है।

पैक्स कम्प्यूटराईजेशन

सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली द्वारा लागू केन्द्र प्रायोजित प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) हेतु कम्प्यूटरीकरण योजना को सहकारिता विभाग के संकल्प संख्या–9581, दिनांक–30.11.2022 द्वारा राज्य में लागू किया गया है।

पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजना का उद्देश्य पंचायत स्तर पर गठित पैक्स के माध्यम से संचालित कार्य प्रणाली, व्यवसाय आदि कार्यों को सुगम एवं पारदर्शी बनाना, सटीकता एवं एकरूपता लाना है, साथ ही उनकी दक्षता एवं लाभ प्रदत्ता में वृद्धि करते हुए भविष्य में उन्हें मल्टी सर्विस सेन्टर के रूप में विकसित करना है। पैक्स के प्रदर्शन एवं दक्षता में सुधार कर बैंक रहित गाँव/क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार कर रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना तथा शहरी क्षेत्रों के निर्भरता को कम करना है।

राज्य में विद्यमान ग्राम पंचायत के सह–अंतक (Co-terminus) सभी पैक्सों को चरणबद्ध रूप से वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2026–27 की अवधि में कम्प्यूटरीकृत करने हेतु केन्द्रांश के रूप में कुल 149.40 करोड़ (एक अरब उनचास करोड़ चालीस लाख) रूपये एवं राज्यांश के रूप में कुल 99.60 करोड़ (निन्यानवे करोड़ साठ लाख) रूपये कुल 249.00 करोड़ (दो अरब उनचास करोड़) रूपये व्यय किया जायेगा। भारत सरकार से स्वीकृति उपरांत प्रथम चरण में 4477 पैक्सों में कम्प्यूटरीकरण की कार्रवाई की जा रही है। द्वितीय चरण में 2330 पैक्सों की स्वीकृति प्रस्तावित है।

योजना अन्तर्गत प्रथम चरण के 4477 पैक्सों में से अब तक कुल 4465 पैक्सों को ई–पैक्स घोषित किया जा चुका है। इन सभी पैक्सों में सभी प्रकार की व्यवसायिक दैनिक गतिविधियाँ ऑनलाईन माध्यम से हो रही है। वर्त्तमान में पैक्सों द्वारा कुल 30.30 लाख (तीस लाख तीस हजार) बार लेन–देन किये गये हैं, जिसकी कुल व्यवहृत राशि 30,052.53 करोड़ रूपये है। कुल कम्प्यूटरीकृत हुए पैक्सों में से 4370 पैक्सों का सिस्टम ऑडिट भी पूर्ण किया जा चुका है, इससे पैक्सों में पारदर्शिता लाने में मदद मिली है। कुल 4313 पैक्सों द्वारा प्रतिदिन डाटा प्रविश्टि (Dynamic Day End) की जा रही है।

अब तक राज्य स्तरीय कमिटी (SLMIC) द्वारा योजना के अगले चरण में कम्प्यूटरीकरण हेतु कुल

2756 पैक्सों को चयनित की गई है। शेष पैक्सों का चयन प्रक्रियाधीन है।

बिहार के पैक्सों का कम्प्यूटरीकरण हो जाने से पैक्स के कार्यों को सुगम, आसान एवं पारदर्शी बनाने में मदद मिली है। पैक्सों के डाटा में एकरूपता एवं डाटा के संधारण को आसान बनाया जा सका है। पैक्सों एवं किसानों को कई तरह के लाभ प्राप्त होने लगे है। पैक्सों को M.S.C. (Multi Service Center) के रूप में विकसित किया जा रहा है। पैक्सों को कॉमन सर्विस सेन्टर के रूप में विकसित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाईन बिजली बिल भुगतान, रेल टिकट, राजस्व रसीद काटने आदि जैसे लगभग 300 प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही है। किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन होने से एक बड़ी आबादी का शहर की ओर पलायन रोकने में मदद मिली है।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में इस योजना हेतु रू० 31,39.00 लाख (एकतीस करोड़ उनचालीस लाख) रूपये का बजटीय उपबंध किया गया है।

सहकार भवन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण

राज्य के प्रत्येक प्रमंडल/जिलों में सहकारिता विभाग के प्रशासनिक कार्यालयों, अंकेक्षण कार्यालयों तथा सहकारी बैंकों के बीच समन्वय के साथ कार्य करने के उद्देश्य से G+2 (तीन मंजिला) सहकार भवन बनाने की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत सहकार भवन का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

अब तक 04 प्रमंडलीय मुख्यालयों सहित कुल 22 जिलों में सहकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 16 जिलों में से 14 जिलों में सहकार भवन के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है, जो निर्माण के विभिन्न चरणों में है। 02 जिलों में सहकार भवन के निर्माण की स्वीकृति दी जानी है।

सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण हेतु सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा को उत्कृष्ट केन्द्र (Centre of Excellence) बनाने के लिए प्रशासनिक भवन, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास रूम, कॉमन रूम, जिम, प्राचार्य कक्ष, फेकल्टी मेंबर्स के लिए आवासन की सुविधा हेतु अत्याधुनिक अधिसंरचना निर्माणधीन है। साथ ही, दक्षिण बिहार अंतर्गत गयाजी जिले में सहकारिता प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान का निर्माण प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में इस योजना हेतु मांग संख्या–03 के अंतर्गत रू० 20,00.00 लाख (बीस करोड़) रूपये का प्रावधान किया गया है।

सहकारिता का प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण

सहकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु LED प्रचार वाहन रथ एवं सहकारी चौपाल का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया गया। पैक्सों में व्यवसायिक विविधीकरण के संबंध में अध्यक्ष/प्रबंधकों को प्रखंड एवं जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। पूरे वर्ष में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार के सहकारी समितियों के सदस्यों एवं पदधारकों के प्रशिक्षण/कार्यशाला के लिए वार्षिक कैलेन्डर तैयार किया गया है। सहकारी समितियों के पदधारकों को सहकारिता के क्षेत्र में विकसित राज्यों में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है। सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के ज्ञान कौशल एवं क्षमतावर्द्धन हेतु विभिन्न सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कराया जाता है।

बिहार सरकार

सहकारिता विभाग के लिए वर्ष 2026–27 में सूचना एवं प्रचार–प्रसार मद हेतु राज्य स्कीम के अन्तर्गत व्यय हेतु रु0 700.00 लाख (सात करोड़) रुपये एवं प्रशिक्षण मद हेतु 700.00 लाख (सात करोड़) रुपये का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना

पैक्सों को आदर्श पैक्स के रूप में विकसित करने हेतु स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के प्रयोजन से मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना लागू है। इस योजनान्तर्गत पुरस्कार योग्य पैक्सों का चयन गत वित्तीय वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं उनके द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों में किये गये प्रदर्शन के सापेक्ष प्राप्त अंकों (Marks) के आधार पर किया जाता है।

योजना के प्रावधानानुसार राज्य के प्रत्येक जिले के तीन पैक्सों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 5.00 लाख रूपये, 3.00 लाख रूपये एवं 2.00 लाख रूपये की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही, राज्य स्तर पर भी तीन पैक्सों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 15.00 लाख रूपये, 10.00 लाख रूपये एवं 7.00 लाख रूपये की राशि एवं प्रमाणपत्र से पुरस्कृत किया जाएगा।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 में क्रमशः 46, 46 एवं 100 पैक्सों को निर्धारित मापदंड के आधार पर पुरस्कृत किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में इस योजना के लिए रू० 3,97.00 लाख (तीन करोड़ संतानवे लाख) रूपये का बजटीय उपबंध किया गया है।

पैक्सों के व्यवसाय का विविधीकरण

राज्य सरकार द्वारा पैक्सों में व्यवसाय का विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर कॉमन सर्विस सेन्टर की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 6299 पैक्सों को CSC-SPV Portal पर Onboard किया जा चुका है, जिसमें से 5293 पैक्स क्रियाशील हो चुका है।

राज्य के 428 पैक्सों द्वारा जन–औषधि केन्द्र की स्थापना हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया है, जिसमें 329 पैक्सों में जन औशधि केन्द्र स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है। 56 पैक्सों द्वारा ड्रग लाइसेंस हेतु आवेदन दिया गया है। जिसमें से 30 पैक्सों को ड्रग लाइसेंस प्राप्त हो चुका है। इनमें से 26 पैक्सों को स्टोर कोड प्राप्त हो चुका है तथा 26 जन औषधि केन्द्र के रूप में कार्यरत है।

3886 पैक्सों में जन वितरण प्रणाली की दुकान संचालित की जा रही है। 2302 पैक्सों को उर्वरक व्यवसाय हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त है, जिसमें से 1696 पैक्स को प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केन्द्र के रूप परिवर्तित कर दिया गया है। 1198 पैक्स अध्यक्षों को प्रशिक्षित किया गया है एवं अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन दिया गया है। पैक्सों में व्यवसायिक विविधीकरण कर रोजगार सृजन किया जा रहा है। नव निर्वाचित पैक्स अध्यक्षों एवं प्रबंधकों को इन गतिविधियों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

सहकारी बैंकों का आधुनिकीकरण

बिहार में कुल 23 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं शीर्ष स्तर पर बिहार राज्य सहकारी बैंक के द्वारा सभी 38 जिलों में वित्त पोषण एवं साख सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है। इनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में के0सी0सी0, समितियों को अधिप्राप्ति (धान/गेहूँ) हेतु साख व्यवस्था, PFMS/DBT के माध्यम से किसानों

का भुगतान, JLG/SHG वित्तपोषण आदि की सेवाएं दी जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्र में डोर स्टेप बैंकिंग के विस्तार हेतु "सहकारिता में सहकार" के अंतर्गत सहकारी समितियों को Deposit Mobilization Agent (DMA) के रूप में विकसित कर माइक्रो–ए0टी0एम0 दिया जा रहा है। अभी तक 343 प्राथमिक सहकारी समितियों को माइक्रो–ए0टी0एम0 दिया गया है। राज्य में E-Stamp और E-Court Fee बिक्री की व्यवस्था भी सहकारी बैंक के माध्यम से क्रियान्वित है। साथ हीं, वित्तीय समावेशन, प्रचार–प्रसार आदि कर ग्राहकों को सहकारी बैंको से जोड़ने के लिए पहल भी किया जाना है।

उक्त सभी सेवाओं के विस्तार एवं ग्राहकों को आधुनिक सुविधाओं को पहुँचाने के उद्देश्य के लिए सभी सहकारी बैंकों के CBS (Core Banking Solution) को उन्नत करने की कार्रवाई की जा रही है। इनके उपरांत बैंकों में Mobile Banking, Net Banking, UPI एवं Cyber Security Center भी लागू करना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में सभी जिला केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय सहकारी बैंकों को अनुदान मद में रू0 25,00.00 लाख (पच्चीस करोड़) रूपए का प्रावधान किया गया है।

शहद उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन योजना

बिहार राज्य में फलों एवं अन्य बागवानी खेती के वृहत्तर आच्छादन के परिप्रेक्ष्य में बडी संख्या में किसान शहद उत्पादन के क्षेत्र में सक्रिय है। देश में बिहार राज्य शहद उत्पादन में चौथे स्थान पर है। परन्तु, शहद उत्पादन क्षेत्र राज्य में असंगठित है।

सहकारिता विभाग द्वारा शहद उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के अतर्गत राज्य के शहद उत्पादन में सक्रिय जिलों में मधुमक्खी पालकों की सहकारी समितियों का निबंधन एवं गठन करते हुए शहद उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

अब तक 140 से ज्यादा प्रखंडों में मधुमक्खी पालकों की प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सहकारी समिति का गठन किया गया है जिसमें लगभग 4500 मधुमक्खी पालक जुड़े हुए हैं। साथ ही, राज्य स्तर पर बिहार राज्य शहद प्रसंस्करण एवं विपणन संघ लि0 (फेडरेशन) का भी गठन किया जा चुका है।

सहकारिता विभाग अंतर्गत निबंधित प्रखंड स्तरीय प्राथमिक मधुमक्खी पालकों की सहकारी समितियों को कॉम्फेड के तहत गठित क्षेत्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के साथ संबद्ध किया जाना तथा कॉम्फेड के द्वारा शहद प्रसंस्करण, ब्रांडिंग एवं विपणन का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

मधुमक्खी पालकों द्वारा उत्पादित शहद के अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात के दृष्टिगत APEDA के सहयोग से शहद के मानक निर्धारित करते हुए तदनुसार शहद की गुणवत्ता संधारित की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में इस योजना हेतु 5,00.00 लाख (पाँच करोड़) रूपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

सहकारी चीनी मिल

बिहार राज्य अंतर्गत पुरानी एवं बंद पड़ी चीनी मिलों को चरणबद्ध रूप से चालू करने तथा नई चीनी मिलों की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

गन्ना उद्योग विभाग के बंद पड़े दो (02) चीनी मिलों सकरी एवं रैयाम की भूमि तथा परिसम्पत्ति

बिहार सरकार

सहकारिता विभाग को हस्तांतरित की जायेगी तथा उक्त जमीन पर सहकारिता विभाग द्वारा सहकारी चीनी मिल स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

राज्य में सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल की स्थापना एवं संचालन के बिन्दु पर अध्ययन दल द्वारा उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में सहकारी क्षेत्र में स्थापित चीनी मिलों का अध्ययन किया गया है।

राज्य में सहकारी क्षेत्र में अगले वित्तीय वर्ष में चीनी मिल की स्थापना हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में इस योजना के लिए रू० 1,80,00.00 लाख (एक अरब अस्सी करोड़) रूपये का बजटीय उपबंध किया गया है।

महोदय, मैं, आपके माध्यम से, सदन से अनुरोध करता हूँ कि माँग संख्या–9 के अन्तर्गत सहकारिता विभाग के लिए वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय, केन्द्र प्रायोजित स्कीम तथा राज्य स्कीम मद के अन्तर्गत व्यय हेतु रू० 12,01,41.16 लाख (बारह अरब एक करोड़ एकतालीस लाख सोलह हजार) रूपये मात्र की माँग पारित की जाय।

एक सब के लिए

सब एक के लिए

सहकारिता विभाग

बिहार, पटना

राज्य के सभी पैक्सों में दिनांक 02.01.2026 से 31.01.2026 तक
डॉ0 प्रमोद कुमार

समृद्धि यात्रा
2026

सहकारिता विभाग, बिहार
2025

को-ऑपरेटिव बैंक
धान अधिप्राप्ति
ई-पैक्स
जन औषधि केन्द्र

समग्र विकास सहकारिता के साथ

सहकारिता विभाग